राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18979/2024

नरेंद्र कुमार पुत्र राम कुमार, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट कुसुमदेसर, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, सेवा चयन आयोग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (एसएससी मुख्यालय) नई दिल्ली (डीओपीटी) के माध्यम से।
2. कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003
3. महानिदेशालय, सीआरपीएफ (भर्ती शाखा) पूर्वी ब्लॉक-07, लेवल-4, सेक्टर-1 आर.के. पुरम नई दिल्ली।
4. कमांडेंट, 124 बटालियन बीएसएफ, पीठासीन अधिकारी बोर्ड ऑफ पीएसटी/पीईटी, सीटी/जीडी 2024 इन कैप्स, एसएसएफ और असम राइफल्स सेंटर एट एसक्यू, बीएसएफ, बीकानेर।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री जयपाल सिंह

प्रतिवादीगणओं के लिए : श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी एस.जी. सुश्री अदिति शर्मा के साथ

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

20/11/2024

1. याचिकाकर्ता, जो कांस्टेबल (जीडी) बनने का इच्छुक है, दिनांक 10.10.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश से व्यथित है, जिसके अनुसार उसे शारीरिक परीक्षण में 170 सेमी की बजाय 169.1 सेमी की ऊंचाई मापकर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह प्रतिवादियों को पीडीयू मेडिकल कॉलेज और डी.बी. अस्पताल, चूरू द्वारा 03.11.2024 (अनुलग्नक 5) को जारी प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए उसकी नई चिकित्सा जांच करने का आदेश भी चाहता है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:18:23 AM)

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 कर्मचारी चयन आयोग ने 24.11.2023 को बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए (अनुबंध 1)। याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे सफल घोषित किया गया।

2.3 लिखित परीक्षा में सफल होने पर, याचिकाकर्ता को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया और उसे 10.10.2024 को बीएसएफ, एसएचक्यू, बीकानेर में संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, जहां उसका शारीरिक परीक्षण किया गया और उसकी ऊंचाई 169.1 सेमी मापी गई, जबकि निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 170 सेमी है। इसलिए, उसे 10.10.2024 के आदेश के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया (अनुलग्नक 4)

2.4 याचिकाकर्ता ने दूसरी राय मांगी और पीयूडी मेडिकल कॉलेज और डीबी अस्पताल, चूरू में निजी तौर पर अपनी जांच कराई। और यह राय दी गई कि उनकी ऊंचाई 03.11.2024 (अनुलग्नक 5) की रिपोर्ट के अनुसार 170.5 सेमी है। इस प्रकार, उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादियों के लिए उपस्थित विद्वान वकील को सुना है, जो अग्रिम सेवा पर उपस्थित हुए थे।

4. शुरू में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता, 03.11.2024 (अनुलग्नक 5) की चिकित्सा राय के साथ सशस्त्र है, जिसे उन्होंने निजी तौर पर, अपनी इच्छा से, पीडीयू मेडिकल कॉलेज और डीबी अस्पताल, चूरू से प्राप्त किया है, इस बात पर जोर देते हैं कि इसे मेडिकल बोर्ड पर वरीयता दी जानी चाहिए, जिसे विशेष रूप से भर्ती एजेंसी द्वारा गठित किया गया था। याचिकाकर्ता इस प्रकार दावा करता है कि भर्ती एजेंसी के मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की ऊंचाई मापने में त्रुटि की है।

4.1 याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता भर्ती के लिए पात्र है। फिर भी, उसे उसके प्रदर्शन का लाभ नहीं दिया गया है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:18:23 AM)

5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि इस न्यायालय को चयन प्रक्रिया में पहले से दी गई चिकित्सा राय पर विशेषज्ञ के रूप में अपील में नहीं बैठना चाहिए।

6. मैं प्रतिवादियों के विद्वान वकील के तर्कों से सहमत हूँ। इस संदर्भ में, अहिल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 1 के मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "10. सेना के डॉक्टर द्वारा उम्मीदवार को फिट घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले चिकित्सा मानक, नागरिक डॉक्टर के मानकों से भिन्न हैं। सेना को उबड़-खाबड़ इलाकों, कठोर जलवायु परिस्थितियों, तनावपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करनी होती है। सेना में सेवा के लिए उम्मीदवारों की फिटनेस पर देश की रक्षा करते समय जलवायु परिस्थितियों, उबड़-खाबड़ इलाकों, चरम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो अपेक्षित कर्तव्य निभाने होते हैं, उनके आधार पर विचार किया जाना चाहिए। सेवा की कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना आवश्यक है, तदनुसार, सेना में सही उम्मीदवार का चयन करने के लिए बहुत उच्च चिकित्सा मानकों की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता को फिट घोषित करने वाली सिविल अस्पताल की रिपोर्ट को सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सशस्त्र बल के विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन में हस्तक्षेप होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सिविल पद की भर्ती के मानदंड सेना के मानदंडों से भिन्न होते हैं और दोनों के चयन के मानक भी भिन्न हो सकते हैं।
>
> 11. याचिकाकर्ता की जांच क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की गई है, जिनका मानना था कि याचिकाकर्ता टीएमजे सबलक्सेशन से पीड़ित है। इन विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता की फिटनेस के संबंध में एक राय तैयार की है और वे इस बारे में सबसे अच्छे निर्णायक हैं। किसी भी तरह की दुर्भावना/पक्षपात का आरोप नहीं है और इस तरह की राय में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं किया गया है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:18:23 AM)

7. मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं, क्योंकि यहां भी स्थिति ऐसी ही है।

8. इसलिए, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

50-एसकेएम/-

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त : हां / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

1 जेएंडके एचसी डब्ल्यूपी (सी) संख्या 797/2021, 27.05.2022

1 जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय रिट याचिका (सी) संख्या 797/2021, 27.05.2022 को तय

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:18:23 AM)